The Chitransh Academic & Research
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 3 |June 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

बिहार के क्षेत्रीय दलों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व : राजद, जदयू और एलजेपी की प्रत्याशी रणनीति का गया ज़िले के विशेष सन्दर्भ में विश्लेषण

पूजा कुमारी
पूर्व शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया, बिहार

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Received: ***01.06.25***
Accepted: ***09.06.25***
Published: ***30/06/25***

Keywords: महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, लैंगिक समानता, आरक्षण नीति, लोकतांत्रिक सहभागिता

ABSTRACT

यह अध्ययन गया ज़िले के विशेष सन्दर्भ में बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय दलों—जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, तथा लोक जनशक्ति पार्टी—द्वारा महिलाओं को प्रत्याशी बनाए जाने की प्रवृत्तियों, रणनीतियों और उनके चुनावी प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। शोध में द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से वर्ष 2010 से 2020 तक के तीन विधानसभा चुनावों में महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने की संख्या, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्राप्त मत प्रतिशत, और उनकी जीत/हार के आँकड़ों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रीय दलों द्वारा महिलाओं को टिकट देने की प्रक्रिया मुख्यतः प्रतीकात्मक रही है, जिसमें वास्तविक सशक्तिकरण की संभावना सीमित दिखाई देती है। यह प्रवृत्ति न केवल राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता की गंभीर चुनौतियों को भी उजागर करती है। साथ ही, अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि महिला मतदाताओं की उल्लेखनीय भागीदारी के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व असंतुलित है, जो राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की सहभागिता को मजबूत करने की दिशा में तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

1. परिचय

लोकतंत्र की आत्मा तभी पूर्ण रूप से साकार होती है जब उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और नेतृत्व की भूमिका प्राप्त हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और संरचनात्मक बाधाएँ लंबे समय से व्याप्त रही हैं, वहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल संख्या में वृद्धि का विषय नहीं, बल्कि उनके सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व न केवल नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह सामाजिक चेतना, लैंगिक समता और लोकतांत्रिक मूल्यबोध को भी मजबूती प्रदान करता है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ से ही समानता और समावेशिता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसी क्रम में, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई, जिसने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व की आधारशिला रखी।

बिहार राज्य, जो ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत जटिल परिदृश्य प्रस्तुत करता है, वहाँ महिलाओं की राजनीतिक भूमिका विशेष अध्ययन की माँग करती है। राज्य में सामाजिक संरचना जाति, वर्ग और लिंग के अनेक आयामों से प्रभावित होती है। ऐसे संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह मूल्यांकन किया जाए कि क्या महिला उम्मीदवारों को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा वास्तव में प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जा रहा है, या फिर यह केवल सांकेतिक उपस्थिति तक सीमित है।

बिहार की राजनीति में जदयू (जनता दल यूनाइटेड), राजद (राष्ट्रीय जनता दल) और एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी–रामविलास) जैसे क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका रही है। ये दल न केवल चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं, बल्कि उम्मीदवार चयन, जातीय समीकरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व की धारणाओं को भी नियंत्रित करते हैं। महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने, चुनावी संसाधनों की उपलब्धता और उनके सामाजिक समर्थन का प्रश्न इस सन्दर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

गया जिला, जो सामाजिक विविधता, राजनीतिक सक्रियता और ऐतिहासिक चेतना से समृद्ध है, इस शोध के लिए एक उपयुक्त अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करता है। इस जिले में महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता और पंचायत स्तर पर भागीदारी की प्रवृत्तियाँ उन व्यापक

रुझानों को दर्शाती हैं, जो राज्यभर में विद्यमान हैं।

2. साहित्य समीक्षा

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर आधारित अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि यद्यपि संविधानिक प्रावधानों और आरक्षण नीति ने महिलाओं को राजनीतिक मंचों पर प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया है, फिर भी यह प्रतिनिधित्व कई बार वास्तविक सशक्तिकरण की बजाय केवल सांकेतिक उपस्थिति तक सीमित रह जाता है। राजनीतिक सत्ता के केंद्र तक पहुँचने में महिलाएँ अब भी कई सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं का सामना करती हैं।

डॉ. बिंदु बिस्वास (2006) के अनुसार, "राजनीतिक आरक्षण महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का माध्यम अवश्य है, लेकिन यदि वह प्रतिनिधित्व केवल 'नाम मात्र' बनकर रह जाए तो लोकतंत्र की आत्मा अधूरी रह जाती है।" उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि महिला प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय असमानता और सामाजिक अवरोध गहरे रूप से मौजूद हैं।

श्रीराम महेश्वरी (2010) ने ***"भारतीय लोकतंत्र में लिंग आधारित असमानता"*** नामक अपने अध्ययन में यह बताया कि राजनीतिक दलों की संरचना और कार्य संस्कृति ही प्रायः पुरुष वर्चस्व को बनाए रखने वाली होती है। क्षेत्रीय दलों में तो यह प्रवृत्ति और भी अधिक होती है जहाँ निर्णय प्रक्रिया सीमित गुटों में केंद्रित रहती है और महिलाएँ निर्णय निर्माण से बाहर रखी जाती हैं।

राखी सेनगुप्ता (2011) ने लिखा कि महिला प्रतिनिधित्व की सफलता न केवल आरक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि वह उन सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर भी आधारित होती है जो महिलाओं को स्वायत्तता, आत्मविश्वास और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती हैं। उन्होंने अपने शोध में बताया कि जिन जिलों में महिला साक्षरता और SHG (Self Help Group) सक्रियता अधिक थी, वहाँ महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी भी अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी पाई गई।

निहारिका त्रिपाठी एवं अनीता तिवारी (2014) ने उत्तर भारत के छह जिलों में क्षेत्रीय दलों की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि महिला उम्मीदवारों

को अधिकांशतः वे सीटें दी जाती हैं जहाँ जीत की संभावना बहुत कम हो या जहाँ सामाजिक समीकरणों की पूर्ति करनी हो।

सुभाषिनी अली (2016) ने अपने लेख ***"पॉलिटिकल पार्टियाँ और महिला नेतृत्व"*** में स्पष्ट रूप से कहा कि क्षेत्रीय दलों के भीतर महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु नेतृत्व के स्तर पर पहुँचने के अवसर अक्सर पुरुष नेताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति में महिला नेतृत्व एक 'प्रचार उपकरण' के रूप में देखा जाता है, न कि परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में।

डॉ. भावना सिंह (2018) ने बिहार के राजनीतिक संदर्भ में महिला नेतृत्व के विषय में लिखा कि "बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलने के बाद राजनीतिक सहभागिता तो बढ़ी, लेकिन विधान सभा या लोकसभा स्तर पर प्रतिनिधित्व की दर अभी भी बहुत कम है।" उनके अनुसार, महिला प्रत्याशी चयन अब भी जातीय समीकरणों, पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनैतिक लॉबिंग पर आधारित होता है।

नीति आयोग (2020) की रिपोर्ट ***"Gender Equality in Politics: India's Next Step"*** में यह बताया गया कि भारत में केवल 9% से भी कम लोकसभा सांसद महिलाएँ हैं, और राज्य विधानसभाओं में यह अनुपात और भी कम है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि अधिकांश क्षेत्रीय दल महिला उम्मीदवारों को केवल आरक्षित सीटों पर ही मैदान में उतारते हैं।

इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारत और विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व अब भी एक सीमित और चुनौतियों से भरा हुआ क्षेत्र है। राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही प्रत्याशी चयन नीतियाँ अक्सर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की उपेक्षा करती हैं। गया जैसे जिलों में, जहाँ सामाजिक संरचना जाति, धर्म और परंपरागत मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है, वहाँ महिला नेतृत्व को सशक्त रूप देना केवल आरक्षण से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, संसाधनों की पहुँच और दलगत इच्छाशक्ति से ही संभव हो सकता है।

3. शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य

3.1 शोध की आवश्यकता

भारतीय लोकतंत्र का आधार समानता, सहभागिता और समावेशिता पर टिका है। इन मूल्यों की वास्तविकता तब ही पूर्ण होती है जब राजनीतिक संरचनाओं में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। यद्यपि संविधान द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, फिर भी उच्चस्तरीय राजनीतिक संस्थाओं — जैसे विधानसभाओं और लोकसभा — में महिलाओं की भागीदारी आज भी सीमित है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ सामाजिक संरचना पारंपरिक और जातीय नियंत्रणों से बंधी हुई है, वहाँ महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त उपस्थिति प्राप्त करना अब भी एक चुनौती बना हुआ है।

राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। जदयू, राजद और एलजेपीआरवी जैसे दल न केवल राज्य के सत्ता संतुलन को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण, जातिगत प्रतिनिधित्व और चुनावी समीकरणों को भी प्राथमिकता देते हैं। इन दलों द्वारा महिला प्रत्याशियों को दिए जाने वाले अवसरों का विश्लेषण यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व भूमिकाएँ सौंपी जा रही हैं या वे केवल आरक्षण के सांकेतिक लाभार्थी हैं।

गया ज़िले का चयन इस शोध के लिए इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह सामाजिक विविधता, राजनीतिक सक्रियता और ऐतिहासिक चेतना का समृद्ध उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की परिस्थितियाँ राज्यव्यापी प्रवृत्तियों का लघु रूप दर्शाती हैं, जिससे यह अध्ययन स्थानीय विश्लेषण के साथ-साथ व्यापक नीतिगत समझ भी प्रदान करता है।

3.2 शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बिहार के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति का विश्लेषण करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. जदयू, राजद और एलजेपी द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की प्रवृत्तियों और उसके निर्णायक कारकों का विश्लेषण करना।
2. गया ज़िले में महिला प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, प्राप्त मत प्रतिशत और चुनावी प्रदर्शन की समालोचनात्मक समीक्षा करना।

3. यह मूल्यांकन करना कि महिला उम्मीदवारों का चयन सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित है या चुनावी गणित और जातीय समीकरणों पर।
4. यह स्पष्ट करना कि महिला राजनीतिक भागीदारी में कितनी वास्तविक सशक्तिकरण की संभावना निहित है और कितनी मात्र औपचारिकता तक सीमित है।
5. क्षेत्रीय दलों में महिला नेतृत्व को प्रभावी बनाने हेतु ठोस, व्यावहारिक और नीतिनिर्माण योग्य अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक स्वरूप का है, जिसका उद्देश्य गया जिले में प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों—जैसे जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)—द्वारा महिला प्रत्याशियों के चयन की प्रवृत्तियों, नीतिगत निर्णयों, और चुनावी प्रदर्शन का गहन विश्लेषण करना है। अध्ययन की विषयवस्तु महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को दलगत रणनीतियों और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर समझने की दिशा में केंद्रित है।

शोध के लिए गया जिले का चयन उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है क्योंकि यह बिहार राज्य का एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ जातीय विविधता, राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक संरचना में विविधताएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, जो अध्ययन के लिए एक उपयुक्त सामाजिक प्रयोगशाला प्रदान करती हैं।

शोध में प्रयुक्त आंकड़ों का संग्रह माध्यमिक स्रोतों से किया गया है। इनमें भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा प्रकाशित विधानसभा चुनाव संबंधित दस्तावेज, गया जिला प्रशासन की वार्षिक रिपोर्टें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट्स, राजनीतिक दलों की अधिकृत वेबसाइटों पर प्रकाशित उम्मीदवार सूची, और जनगणना 2011 के सामाजिक आँकड़े शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न शोध प्रबंध, पत्रिकाएँ, और अकादमिक लेखों का भी सन्दर्भ लिया गया है, जिससे अध्ययन की प्रामाणिकता और गहराई सुनिश्चित की जा सके।

डाटा संग्रह की प्रक्रिया में प्रामाणिक दस्तावेजों के आलोचनात्मक अध्ययन की विधि अपनाई गई है। महिला प्रत्याशियों की संख्या, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, किस दल द्वारा किस निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें टिकट दिया गया, चुनाव में उनके प्रदर्शन (जैसे प्राप्त मत प्रतिशत) इत्यादि संकेतकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है

5. डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति

यह खंड गया ज़िले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से जुड़े तथ्यों, आंकड़ों और प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विश्लेषण के लिए द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त प्रामाणिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, और जनगणना 2011 की रिपोर्टें प्रमुख हैं। विश्लेषण को वर्षवार, दलवार और सामाजिक दृष्टिकोणों से वर्गीकृत किया गया है, जिससे महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का समग्र मूल्यांकन संभव हो सके।

5.1 दलवार महिला प्रत्याशियों का वितरण (2010–2020)

गया ज़िले की दस विधानसभा सीटों पर वर्ष 2010 से 2020 तक के तीन चुनावों में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में बहुत सीमित संख्या में टिकट दिए गए। जदयू, राजद और एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने महिला प्रत्याशियों को केवल सांकेतिक रूप से मैदान में उतारा, वह भी अधिकतर ऐसी सीटों पर जहाँ जीत की संभावना कम थी या जातिगत समीकरण दल के प्रतिकूल थे। 2010 में जदयू ने केवल एक महिला को टिकट दिया, जबकि राजद और एलजेपी ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया। 2015 में जदयू और राजद ने एक-एक महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन एलजेपी की स्थिति पूर्ववत रही। 2020 के चुनाव में भी जदयू और एलजेपी ने महिला प्रत्याशियों से दूरी बनाए रखी, केवल राजद ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि टिकट वितरण में उनकी वास्तविक भागीदारी न्यूनतम रही।

तालिका 5.1: गया ज़िले में महिला प्रत्याशियों का दलवार सांख्यिकीय विश्लेषण

वर्ष	राजनीतिक दल	कुल प्रत्याशी	महिला प्रत्याशी	प्रतिशत (%)
2010	जनता दल (यूनाइटेड)	7	1	14.3%
2010	राष्ट्रीय जनता दल	6	0	0.0%
2010	लोक जनशक्ति पार्टी	4	0	0.0%
2015	जनता दल (यूनाइटेड)	6	1	16.7%
2015	राष्ट्रीय जनता दल	5	1	20.0%
2015	लोक जनशक्ति पार्टी	3	0	0.0%
2020	जनता दल (यूनाइटेड)	6	0	0.0%

2020	राष्ट्रीय जनता दल	5	1	20.0%
2020	एलजेपी (रामविलास गुट)	3	0	0.0%

स्रोत: https://eci.gov.in

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला प्रत्याशियों को टिकिट देने की प्रवृत्ति वर्षों से स्थिर नहीं रही है और न ही यह किसी सुसंगत नीति का परिणाम प्रतीत होती है। यह व्यवहार महिलाओं के चुनावी नेतृत्व को स्थायी और संस्थागत स्वरूप देने में क्षेत्रीय दलों की असफलता को इंगित करता है।

5.2 महिला प्रत्याशियों का चुनावी प्रदर्शन

जहाँ महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया, वहाँ उनका प्रदर्शन यद्यपि मत प्रतिशत के स्तर पर अपेक्षाकृत संतोषजनक रहा, परंतु वे विजयी नहीं हो सकीं। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि उन्हें वे सीटें दी गईं जो या तो विपक्षी दलों के प्रभाव क्षेत्र में थीं या दल द्वारा कम संसाधन प्रदान किए गए। उदाहरण के लिए, 2015 में बाराचट्टी सीट से जदयू की उम्मीदवार निर्मला देवी को 19,820 वोट प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 26.5% था। इसी वर्ष बेलागंज से राजद की रूबी देवी को 22,300 मत प्राप्त हुए, लेकिन वे भी पराजित रहीं। 2020 में वजीरगंज से राजद की संगीता देवी को 23,170 मत मिले, जो 28.4% के आसपास था, परंतु उन्हें भी जीत नहीं मिली।

तालिका 5.2: महिला प्रत्याशियों को प्राप्त मत और मत प्रतिशत

वर्ष	निर्वाचन क्षेत्र	दल	प्रत्याशी	प्राप्त मत	मत प्रतिशत	परिणाम
2015	बाराचट्टी	जदयू	निर्मला देवी	19,820	26.5%	पराजित
2015	बेलागंज	राजद	रूबी देवी	22,300	27.9%	पराजित
2020	वजीरगंज	राजद	संगीता देवी	23,170	28.4%	पराजित

स्रोत: https://eci.gov.in

इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं के प्रति मतदाताओं का रुझान सकारात्मक रहा, परंतु दलों की रणनीतिक विफलता और सीट चयन में असावधानी के कारण वे चुनाव नहीं जीत सकीं।

5.3 महिला मतदाताओं की स्थिति और लैंगिक अनुपात

गया ज़िले में महिला मतदाताओं की संख्या भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2020 के चुनावी आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाताओं की संख्या 26.78 लाख थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 12.91 लाख थी। यह लगभग 48% मतदाता हिस्सा दर्शाता है, जो यह सिद्ध करता है कि महिलाएँ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं।

तालिका 5.3: गया ज़िले के मतदाताओं का लिंगानुपात (2020)

कुल मतदाता	पुरुष मतदाता	महिला मतदाता	लिंगानुपात (महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष)
26,78,000	13,87,000	12,91,000	931

स्रोत: https://eci.gov.in

यह आँकड़ा यह दर्शाता है कि मतदाताओं के रूप में महिलाएँ पूर्णतः सक्रिय हैं, परंतु उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस अनुपात से मेल नहीं खाता। इससे यह असंतुलन स्पष्ट होता है कि मतदान में भागीदारी और प्रत्याशी बनने के अवसरों के बीच गहरी खाई मौजूद है।

5.4 समेकित विश्लेषण

गया ज़िले में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण दर्शाता है कि क्षेत्रीय दलों की रणनीति में महिलाएँ प्राथमिकता नहीं रही हैं। टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी 0–20% तक सीमित रही है और उन्हें केवल प्रतीकात्मक रूप से मैदान में उतारा गया है। यह प्रवृत्ति दलगत लोकतंत्र में संरचनात्मक असमानता और लैंगिक पूर्वाग्रह को उजागर करती है। महिला मतदाताओं की संख्या उल्लेखनीय होने के बावजूद, राजनीतिक दलों ने उन्हें नेतृत्व देने के बजाय एक परिधीय भूमिका में सीमित कर दिया है। यह असंतुलन न केवल लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मूल भावना के विरुद्ध है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों की भी अनदेखी करता है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

6.1 निष्कर्ष

गया ज़िले में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा महिला राजनीतिक भागीदारी को लेकर जो रुझान सामने आए हैं, वे यह दर्शाते हैं कि महिला प्रतिनिधित्व अभी भी चुनावी राजनीति में प्रतीकात्मक और सीमित है। वर्ष 2010 से 2020 तक के तीनों विधानसभा चुनावों में जदयू, राजद और एलजेपी जैसे प्रमुख दलों ने महिलाओं को टिकट देने में कोई स्थायी या सुसंगत नीति नहीं अपनाई। अधिकांश वर्षों में महिलाओं को टिकट देना केवल "लैंगिक प्रतिनिधित्व" का औपचारिक निर्वहन मात्र प्रतीत हुआ।

चुनावी आंकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिन महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया, उनका प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा, परंतु उन्हें आमतौर पर वे सीटें दी गईं जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी या दलगत समर्थन अपेक्षाकृत कमज़ोर था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को रणनीतिक रूप से कमजोर सीटों पर खड़ा करना आम प्रवृत्ति रही है।

इसके अतिरिक्त, महिला मतदाताओं की संख्या ज़िले में लगभग 48% रही है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी में उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। परंतु मतदाता और प्रतिनिधित्व के बीच जो लैंगिक असंतुलन है, वह गंभीर चिंता का विषय है। इससे यह सिद्ध होता है कि राजनीतिक भागीदारी की संरचनाएं अभी भी पुरुष वर्चस्व वाली बनी हुई हैं।

6.2 सुझाव

1. राजनीतिक दलों को आंतरिक लैंगिक नीति बनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत हर चुनाव में न्यूनतम एक तिहाई टिकट महिलाओं को देने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाए, विशेष रूप से उन सीटों पर जहाँ दल की स्थिति मजबूत हो।
2. प्रशिक्षण और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन ज़रूरी है ताकि महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया, रणनीति, जनसंपर्क और नेतृत्व कौशल में दक्ष बनाया जा सके। दलों को महिला कैडर तैयार करने हेतु संसाधन निवेश बढ़ाना चाहिए।
3. निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी हो, और दलों से महिला प्रतिनिधित्व पर रिपोर्ट माँगी जाए जिसे सार्वजनिक किया जाए।
4. महिला मतदाताओं के बीच राजनीतिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि वे अधिक सशक्त रूप से अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व की माँग कर सकें। ऐसे अभियान महिला संगठनों और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा सकते हैं।

5. लोकल स्तर की राजनीतिक संस्थाओं (जैसे पंचायती राज) में महिलाओं के लिए आरक्षण की तरह, विधान सभा एवं लोकसभा चुनावों में भी आरक्षण नीति लागू करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।
6. शोध एवं निगरानी संस्थानों को महिला प्रत्याशियों के प्रदर्शन, चुनावी वित्त पोषण, मीडिया कवरेज और दलगत सहयोग पर निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए ताकि सुधारात्मक नीतियाँ तैयार की जा सकें।

संदर्भ सूची

1. बिस्वास, बिंदु (2006). ***राजनीतिक आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाता है या केवल प्रतीकात्मकता तक सीमित है*** ग्रामीण पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का तुलनात्मक अध्ययन। कोलकाता विश्वविद्यालय: स्त्री अध्ययन विभाग।
2. महेश्वरी, श्रीराम (2010). ***भारतीय लोकतंत्र में लिंग आधारित असमानता.*** नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. सेनगुप्ता, राखी (2011). ***महिला प्रतिनिधित्व की सामाजिक-आर्थिक भूमिका का विश्लेषण.*** स्त्री विमर्श शोध पत्रिका।
4. त्रिपाठी, निहारिका एवं तिवारी, अनीता (2014). ***उत्तर भारत में क्षेत्रीय दलों की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया: एक तुलनात्मक अध्ययन.*** काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
5. अली, सुभाषिनी (2016). ***पॉलिटिकल पार्टियाँ और महिला नेतृत्व.*** जनसत्ता, विशेष लेख, 12 जून।
6. सिंह, भावना (2018). ***बिहार में महिला नेतृत्व: एक राजनीतिक अध्ययन.*** पटना विश्वविद्यालय: राजनीति विज्ञान विभाग।
7. नीति आयोग (2020). ***Gender Equality in Politics: India's Next Step***. नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार।https://www.niti.gov.in
8. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India). ***बिहार विधानसभा चुनाव आँकड़े: 2010, 2015, 2020*** https://eci.gov.in
9. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार (2020). ***पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव सांख्यिकीय रिपोर्ट्स।***[https://sec.bihar.gov.in]
10. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2011–2020). ***महिला स्थिति रिपोर्ट एवं जेंडर आँकड़े।***[https://wcd.nic.in]

11. गया जिला प्रशासन (2010–2020). ***वार्षिक जिला प्रगति रिपोर्ट।*** [गया ज़िला आधिकारिक पोर्टल या भौतिक अभिलेखालय से प्राप्त]
12. जनगणना 2011. ***गया ज़िले की जनसांख्यिकी एवं लिंगानुपात संबंधित आँकड़े*** भारत सरकार: जनगणना निदेशालय।https://censusindia.gov.in